

का.आ. 391(अ)—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मई, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 422 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने संदीप फाऊंडेशन, 118, जौली भवन सं० 1, 10 न्यू मैरीन लाईन्स मुम्बई-400020 द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र में स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षणिक गतिविधियों को चलाने को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट किया था ; और जिसे आगे दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं० 515(अ०) द्वारा संशोधित कर “कच्छ (गुजरात) और धुले (महाराष्ट्र) में स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षणिक गतिविधियों को चलाना” शब्दों के स्थान पर “गुजरात और महाराष्ट्र में स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षणिक गतिविधियों को चलाना” प्रतिस्थापित किए जाएंगे और जिसे कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1051 (अ०) द्वारा संशोधित किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए और परियोजना लागत को 40.00 लाख रू० से 70.00 लाख रूपए तक संशोधित करने के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) एतद्वारा संदीप फाऊंडेशन, 118, जौली भवन सं० 1, 10 न्यू मैरीन लाईन्स मुम्बई-400020 द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र में स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षणिक गतिविधियों को चलाने की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, और

(ख) दिनांक 19 मई, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 442(अ०) को निम्नलिखित प्रकार से संशोधन करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 6 के सम्मुख कॉलम (4) में धारा 35 क ग के तहत अनुमत लागत की अधिकतम राशि से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द “ 40.00 लाख रूपये” के स्थान पर अक्षर, आंकड़े और शब्द “ 70.00 लाख रूपये” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।